न्यायालय जिला कलेक्टर, दौसा

पीठासीन अधिकारी :– अविचल चतुर्वेदी
आई0ए0एस0

प्रार्थना पत्र सं0 175/2018

गृह फाईनेन्स लिमिटेड, पंजीकृत कार्यालय 'गृह' नेताजी मार्ग, मीठाखली छः रास्ता के पास, एलिसब्रिज, अहमदाबाद व स्थानीय शाखा कार्यालय 10 कैलाशपुरी, द्वितीय मंजिल, कृष्णा कॉम्पलेक्स, टोंक रोड़ जयपुर (राज0) जरिये प्राधिकृत अधिकारी भूपेन्द्र सिंह

बनाम

1. श्री नंद किशोर पोसवाल पुत्र श्री घनश्याम योगी निवासी मोलूराम की धर्मशाला के पास, मेहन्दीपुर बालाजी, तहसील सिकराय जिला दौसा (राज0)
2. श्री घनश्याम योगी पुत्र श्री मुरली नाथ निवासी मोलूराम की धर्मशाला के पास, मेहन्दीपुर बालाजी, तहसील सिकराय जिला दौसा (राज0)
3. श्रीमती मूली देवी पत्नी श्री घनश्याम योगी निवासी निवासी मोलूराम की धर्मशाला के पास, मेहन्दीपुर बालाजी, तहसील सिकराय जिला दौसा (राज0)

प्रा0 पत्र अ0धा0 14 वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्गठन और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम– 2002 बंधक सम्पत्ति का कब्जा सुपुर्दगी बाबत।

आदेश दिनांकः 03.7.2019

संक्षिप्त में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थी कम्पनी गृह फाईनेन्स लिमिटेड ने अप्रार्थी/ऋणीगण श्री नंद किशोर पोसवाल पुत्र श्री घनश्याम योगी निवासी मोलूराम की धर्मशाला के पास, मेहन्दीपुर बालाजी, तहसील सिकराय जिला दौसा व अन्य को 30,00,000/–(रूपये तीस लाख) की ऋण सुविधा उपलब्ध कराई गई थी। ऋण सुविधा उपलब्ध कराते समय ऋणी द्वारा पुनः भुगतान हेतु जमानत प्रतिभूति के रूप में परिसम्पत्ति के रूप में हाईपोथिकेशन किया गया। अप्रार्थी ऋणी द्वारा बैक का ऋण भुगतान करने में असफल रहने व समय पर ऋण राशि मय ब्याज अदा नही करने पर उक्त अधिनियम की धारा 13/2 के अंतर्गत अप्रार्थी ऋणी को रजिस्टर्ड नोटिस जारी किये जाने के बावजूद ऋण राशि मय ब्याज भुगतान नही करने पर प्रार्थी अपने पास बतौर जमानत रहन रखी गयी। उक्त सम्पत्ति का कब्जा प्राप्त हेतु **The securitisation and reconstruction of financial assets and enforcement of the security interest act.2002** की धारा 14 के तहत निवेदन किया है।

अधिवक्ता प्रार्थी गृह फाईनेन्स लिमिटेड को सुना गया। अप्रार्थीगण अनुपस्थित। हमने प्रार्थी गृह फाईनेन्स लिमिटेड द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र का अवलोकन किया। अप्रार्थीगण ऋणी द्वारा प्रार्थी फाइनेन्स कम्पनी को ऋण भुगतान करने में असफल रहने व समय पर ऋण राशि मय ब्याज अदा नही कर उक्त अधिनियम की धारा 13/2 के अन्तर्गत अप्रार्थी ऋणी को रजिस्टर्ड नोटिस जारी करने पर ऋण राशि का शर्तो के मुताबिक भुगतान नही करने पर **The securitisation and reconstruction of financial assets and enforcement of the security interest act.2002** की धारा 14 प्रदत्त शक्तियों के तहत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर बंधक रखी गई सम्पत्ति आवासीय सम्पत्ति स्थित गांव घाटा बालाजी तन मीना सीमला तहसील सिकराय जिला दौसा(राज0) तादादी 1071 वर्गफीट पट्टा नं0 33 जो कि श्रीमती मूली देवी के नाम से है तथा आवासीय सम्पत्ति स्थित गांव घाटा बालाजी तन मीना सीमला तहसील सिकराय जिला दौसा (राज0) तादादी 729 वर्गफीट पट्टा नं0 22 जो कि घनश्याम योगी के नाम से है। जिसमें भूमि, भवन एवं ढांचा आदि जो सभी सम्पत्ति के अभिन्न अंग है, का भौतिक रूप से कब्जा प्रार्थी गृह फाईनेन्स लिमिटेड को, किंसी सक्षम न्यायालय का स्थगन आदेश प्रभावी नहीं हो तो, नियमानुसार आवश्यक होने पर पर्याप्त पुलिस बल पुलिस अधीक्षक, दौसा से प्राप्त कर कब्जा प्राप्त करने के आदेश दिये जाते है। पत्रावली फैसल शुमार हो एवं नम्बर से कम हो। आदेश आज दिनांक 03 जुलाई, 2019 को खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

(अविचल चतुर्वेदी)
जिला कलेक्टर,दौसा
जिला कलेक्टर,दौसा

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official